01(ई/S17

वि० प्रा०(v) बैठक – 10/19

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

दिनांक–**24/01/2020** को पूर्वाह्न **11:00** बजे प्रधान सचिव की अध्यक्षता में राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक के प्राचार्यों की सम्पन्न् विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति – संलग्न
2. बैठक की कार्यावली – संलग्न
3. बैठक में विचार – विमर्शोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

आयकर रिर्टन दाखिल करने के संबंध में।

3(i) प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा आयकर विभाग के पदाधिकारियों का परिचय कराया गया। T.D.S. एवं अन्य कर के संबंध में रिटर्न दाखिल करने के विन्दु पर आयकर विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। साथ ही T.D.S. को भी भरने के संबंध में जानकारी दी गई। बाह्य एजेन्सियों को की गई भुगतान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि संस्थान द्वारा आयकर अधिनियम एवं नियमावली के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। आयकर विभाग के PPT को सभी प्राचार्यों को भेजने का निर्देश IT Manager को दिया गया।

(अनुपालन–सभी प्राचार्य / विभागीय पदा० / IT Manager)

ii प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा द्वारा अनुरोध किया गया कि राजकीय पोलिटेकनिक अरवल को राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा में स्थानान्तरित कर दिया जाय। कारण पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि राजकीय पोलिटेकनिक, अरवल का Mentor's Institute राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा बनाया गया है। छात्र / छात्राओं का पठन–पाठन नवादा में नये भवन में जगह उपलब्ध है। जिसमें राजकीय पोलिटेकनिक, अरवल की पूर्ण व्यवस्था की जा सकती है। उक्त विषय पर विभागीय स्तर से प्राचार्य को आदेश देने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन–निदेशक, उप निदेशक (यो.) एवं प्र० पदा०–IV)

iii प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, गुलजारबाग, पटना–7 द्वारा बताया गया कि संस्थान में अधिक समय से पुलिस का ठहराव अभी बना हुआ है। साथ ही व्याख्याताओं को जनगणना कार्य हेतु अतिरिक्त कार्य जिलाधिकारी पटना द्वारा दिया गया है। संस्थान के प्राचार्य द्वारा बताया गया कि शिक्षकों को जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षकों में उक्त करने हेतु विभागीय स्तर से आवश्यक कार्यवाई करने का निर्णय लिया गया। जनगणना कार्य में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होने पर संस्थान में पठन–पाठन कार्य ठप पड़ जाएगा।

(अनुपालन–उप निदेशक (यो.) एवं प्र० पदा०–IV)

iv प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मधुबनी द्वारा बताया गया कि सुरक्षा गार्ड हेतु एक कमरा को चिहिन्त करना अनिवार्य है। AICTE के पदाधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण के क्रम में इसकी आवश्यकता बताई गई है। सभी प्राचार्य को यह निदेशित किया गया कि AICTE के Norms के अनुसार संस्थान परिसर में उचित स्थान पर गार्ड हेतु एक कमरा की व्यवस्था की जाय।

(अनुपालन–सभी प्राचार्य, उप निदेशक (यो.) एवं प्र० पदा०–IV)

v प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, टेकारी द्वारा बताया गया कि संस्थान का चाहर दिवारी गिर गया है। प्राचार्य द्वारा चाहर दिवारी की मरम्मति हेतु अनुरोध किया गया। उपनिदेशक (यो.) को आदेशित किया गया कि उक्त कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग को शीघ्र पत्र निर्गत किया जाय।

(अनुपालन–उप निदेशक (यो.) एवं प्र० पदा०–IV)

vi प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, डेहरी–ऑन–सोन द्वारा बताया गया कि मार्च / अप्रैल 2020 में अभियंत्रण महाविद्यालय सासाराम अपने नये भवन में स्थानान्तरित हो रहा है। प्राचार्य अभियंत्रण महाविद्यालय एवं प्राचार्य पोलिटेकनिक को विभागीय स्तर से पत्र निर्गत किया जाय कि आवश्यक सामान को ही राजकीय पोलिटेकनिक डेहरी–ऑन–सोन से अभियंत्रण महाविद्यालय में स्थानान्तरित हो। दोनो प्राचार्य एक साथ बैठक कर आवश्यक सामानों की सूची बनाकर अन्तिम निर्णय हेतु विभाग को प्रेषित करेगें। विभागीय निर्णय से शीघ्र प्राचार्य को संसूचित कर दिया जाए।

(अनुपालन–उप निदेशक (यो.) एवं प्र० पदा०–IV)

vii सभी राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक से प्राप्त Requirement को शीघ्र विभागीय स्तर से कार्यवाई कर संबंधित प्राचार्य को कार्यान्वयन हेतु आदेश दिया जाय।

(अनुपालन–उप निदेशक (यो.) एवं प्र० पदा०–IV)

viii राजकीय पोलिटेकनिक, शेखपुरा को अपने नये भवन में शीघ्र स्थानान्तरण की कार्यवाई की जाए। विद्युत विभाग से प्राप्त प्राक्कलन की राशि को समीक्षा कर स्वीकृति प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाई की जाय।

(अनुपालन–उप निदेशक (यो.) एवं प्र० पदा०–IV)

ix प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि Fire Fighting की व्यवस्था संस्थान के भवनों में अभी भी चालू नही किया गया है। उसे चालू करने हेतु भवन निमार्ण विभाग को शीघ्र पत्र प्रेषित किया जाय।

(अनुपालन–उप निदेशक (यो.) एवं प्र० पदा०–IV)

x प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक मधुबनी द्वारा बताया गया कि कुछ जगह खिड़की का शीशा टूट गया है। प्राचार्य को आदेश दिया गया कि भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क कर मरम्मति का कार्य कराने हेतु आवश्यक कार्यवाई करेगें।

(अनुपालन–प्राचार्य, उप निदेशक (यो.) एवं प्र० पदा०–IV)

xi प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक सिवान द्वारा बताया गया कि छत पर पानी टंकी सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा हैं। प्राचार्य को निदेशित किया गया कि भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क कर उस कार्य को शीघ्र सम्पन्न् करावें। साथ ही विभागीय स्तर से भी भवन निर्माण विभाग को उक्त कार्य सम्पन्न् कराने हेतु पत्र निर्गत किया जाय।

(अनुपालन–प्राचार्य, उप निदेशक (यो.) एवं प्र० पदा०–IV)

xii प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, शिवहर द्वारा बताया गया कि भवन का छत से पानी चूता है। बरसात में पानी चूने से छत खराब हो रहा है, साथ ही कुछ भाग में मरम्मति की भी आवश्यकता है। उप निदेशक (यो.) को निदेश दिया गया कि उक्त कार्य शीघ्र कराने हेतु भवन निर्माण विभाग को पत्र निर्गत किया जाय।

(अनुपालन–उप निदेशक (यो.) एवं प्र० पदा०–IV)

xiii सभी राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक में क्या कमी **(Requirement)** के संबंध में सभी प्राचार्यों से विस्तृत विवरणी की माँग की जाय। उपनिदेशक (यो.) को आदेश दिया गया कि प्राचार्यों से प्राप्त विस्तृत विवरणी को एक साथ समेकित कर प्रधान सचिव के समक्ष उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन–उप निदेशक (यो.) एवं प्र० पदा०–IV)

xv सभी संस्थानों के प्राचार्य को आदेश दिया गया कि संस्थान के परिसर में व्याख्याताओं एवं अन्य अराजपत्रित कर्मियों के लिए भवन, छात्रावास (Boys & Girls), खेल के मैदान आदि के विस्तृत विवरणी उपलब्ध करावे ताकि विभागीय स्तर से समुचित कार्यवाई की जा सके।

(अनुपालन–प्राचार्य, उप निदेशक (यो.) एवं प्र० पदा०–IV)

4. सभी संस्थानों में पुस्तक क्रय हेतु पुस्तकों का एक मानक तैयार करने पर विचार किया गया। उक्त कार्य हेतु संयुक्त निदेशक (त.) को आदेश दिया गया कि सभी प्राचार्यों से पुस्तकों की मानक सूची तैयार कर शीघ्र क्रय हेतु आवश्यक कार्यवाई की जाय।

(अनुपालन–प्राचार्य, उप निदेशक (यो.) एवं प्र० पदा०–IV)

5. सभी प्राचार्य राजकीय पोलिटेकनिक को आदेश दिया गया कि संस्थान में उपलब्ध Computer, Furniture, Printer उपकरण / मशीन की सूची प्राप्त कर समेकित रूप से gap को भरने हेतु आवश्यक कार्यवाई की जाय।

(अनुपालन–प्राचार्य, उप निदेशक (यो.) एवं प्र० पदा०–IV)

6. संस्थान के छात्रों द्वारा आपस में लड़ाई को रोकने हेतु राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रत्येक संस्थान से एक शिक्षक को उस संस्थान के निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त किया जाय। प्राचार्य अपने स्तर से भी छात्र / छात्राओं को शांति से पठन–पाठन हेतु निदेश देगें।

(अनुपालन–निदेशक, प्राचार्य एवं सचिव S.B.T.E.)

7. सभी प्राचार्य को आदेश दिया गया कि Cisco कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाई की जाय, साथ ही इस आधार पर ranking of Institution हेतु भी आवश्यक कार्यवाई की जाय।

(अनुपालन–संयुक्त निदेशक (त.) एवं प्र० पदा०–IV/ IT Managre)

8. सभी प्राचार्य को आदेश दिया गया है कि संस्थान के सभी छात्र / छात्राओं को Credit Card के माध्यम से अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जाय। इसके लिए संस्थान में प्रत्येक सप्ताह के अन्त में छात्र / छात्राओं का Seminar संस्थान में आयोजित किया जाय। साथ ही छात्र / छात्राओं के अनुदान देने हेतु संबंधित पदाधिकारी से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाई किया जाय।

(अनुपालन–सभी प्राचार्य)

9. सभी प्राचार्यों को आदेश दिया गया कि प्रशिक्षण एवं नियोजन (Training and Placement) सेल को कार्यकारी बनाया जाय। साथ ही प्रशिक्षण एवं नियोजन सेल को सफल संचालन हेतु विभाग से आवश्यक राशि की माँग की जाय।

(अनुपालन–T.P.O. उप निदेशक (यो.) एवं प्र० पदा०–IV)

10. सभी प्राचार्यों को आदेश दिया गया कि सभी संस्थानों में कुशल युवा हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय। उक्त कार्य हेतु प्रत्येक संस्थानों से सम्नवय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाई किया जाय।

(अनुपालन–प्राचार्य, संयुक्त निदेशक (त.) एवं प्र० पदा०–IV)

11. गेस्ट फैकेल्टी को रखने हेतु विभागीय स्तर से समुचित दिशा निदेश जारी करने का निर्णय लिया गया।

(संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं प्र० पदा०–iii)

12. पूर्व में दिनांक–**22/11/2019** को सम्पन्न् बैठक की कार्यवाही विभागीय पत्रांक–**4078** दिनांक–**06/12/2019** द्वारा सभी प्राचार्य / विभागीय पदाधिकारी को प्रेषित है। उक्त कार्यवाही में लिये गये निर्णय का अनुपालन नहीं हुआ है, उसे भी अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाई की जाय।

(अनुपालन–प्राचार्य, उप निदेशक (यो.) एवं प्र० पदा०–IV)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/—
(संजीव कुमार)
निदेशक

ह०/—
(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 353 /पटना, दिनांक :– 3-2-2020

प्रतिलिपि :– (1) मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक के निजी सहायक / सभी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना / सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना / सभी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक / परामर्शी ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट / आई०टी० मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

03.02.2020
(संजीव कुमार)
निदेशक